भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *330
(12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

लखपति दीदी योजना

***330. श्री दिनेशभाई मकवाणाः**
श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में लखपति दीदी योजना के शुरू होने से लेकर अब तक इससे लाभान्वित महिलाओं की राज्य-वार और विशेषकर हिमाचल प्रदेश में जिला-वार कुल संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार का विचार डिजिटल साक्षरता, बाजार संपर्कों और वित्तीय समावेशन जैसे पहलुओं को शामिल करने के लिए इस योजना के क्षेत्र का विस्तार करने का है;
(ग) यदि हां, तो इस विस्तार की विस्तृत रूपरेखा क्या है और महाराष्ट्र जैसे राज्यों तथा जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;
(घ) क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाओं की ऋण, सूक्ष्म वित्त और कौशल प्रशिक्षण तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पहल कर रही है; और
(ङ) यदि हां, तो विशेषकर ग्रामीण और आकांक्षी जिलों में हुई प्रगति और समग्र सामाजिक-आर्थिक प्रभाव की निगरानी के लिए क्या तंत्र मौजूद है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लखपति दीदी योजना के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दिनांक 12.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *330 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) लखपति दीदी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) की एक पहल और परिणाम है। अब तक 1,48,32,258 स्वयं सहायता समूह महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सक्षम बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश में 82,176 लखपति दीदियों को सक्षम बनाया गया है। मंत्रालय स्तर पर जिला-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ख) और (ग): लखपति दीदी पहल का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाना है, ताकि वे कम से कम 4 कृषि मौसमों और/या व्यावसायिक चक्रों के लिए स्थायी आधार पर प्रति वर्ष न्यूनतम एक लाख रुपये की आय अर्जित कर सकें। यह पहल एसएचजी समूह पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत एसएचजी महिलाओं पर केंद्रित है। हालाँकि, आयोजना, कार्यान्वयन और निगरानी की पूरी प्रक्रिया में सामुदायिक संस्था संरचनाएं अर्थात स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन (वीओ) और क्लस्टर स्तरीय संघ (सीएलएफ) अग्रणी भूमिका निभाते हैं। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को लखपति बनाने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस पहल का उद्देश्य सामाजिक और वित्तीय समावेशन के लिए सरकारी विभागों में वित्तीय साक्षरता, कौशल विकास और समन्वय को बढ़ाने के साथ-साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में उद्यमशीलता की क्षमता का निर्माण करना है।

डीएवाई-एनआरएलएम ने लगभग 5 लाख ई-बुककीपरों को संवर्धित किया है और एसएचजी रिकॉर्ड बुक्स को डिजिटल बनाने के लिए प्रशिक्षित किया है। कई दौर के प्रशिक्षण कार्यक्रम भौतिक रूप से प्रदान किए गए हैं और ई-बुककीपर्स के लिए उपलब्ध अपडेट्स पर स्वयं सीखने के लिए एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया गया है। समुदाय को सेवाएं प्रदान करने के लिए एसएचजी दीदी से "विद्युत सखी", "डिजी-पे सखी" और "ड्रोन दीदी" को भी प्रोत्साहित किया गया है। ये पहल गांव स्तर पर डिजिटल सेवाओं तक पहुंच में सहायता कर रही हैं।

मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह उत्पादों के प्रचार के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ गठजोड़ किया है। इसके अलावा, मंत्रालय और क्रमशः फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, अमेज़न, फैशनीयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (मीशो) और जियोमार्ट के बीच समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ताकि कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों सहित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के उत्पादकों को फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम, अमेज़न सहेली पहल, मीशो और जियोमार्ट के माध्यम से एसएचजी उत्पादों के विपणन के लिए राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्रदान की जा सके। एसएचजी उत्पादों के ऑनलाइन विपणन के लिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (www.esaras.in) परिचालन में है। ई-सरस ओएनडीसी पर विक्रेता

नेटवर्क भागीदार के रूप में भी सक्रिय है। महिला स्वयं सहायता समूहों के चयनित उत्पाद ओएनडीसी नेटवर्क के ऐप्स पर उपलब्ध हैं।

डीएवाई-एनआरएलएम गरीबों को सस्ती, किफायती और विश्वसनीय वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है और गरीबों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देकर एवं स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) तथा उनके संघों को उत्प्रेरक पूंजी प्रदान करके यह वित्तीय समावेशन के मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर काम करता है। डिजिटल वित्त को बढ़ावा देने के लिए बैंकों और कॉमन सर्विस सेंटरों के सहयोग से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी (बीसी सखी) के रूप में तैनात किया जाता है। वर्तमान में, 1.44 लाख से ज्यादा महिला सदस्य समूहों की पहचान की गई है, उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है और उन्हें बीसी सखी के रूप में तैनात किया गया है।

लखपति दीदी पहल के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्य प्रदान किए गए हैं और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों ने इसकी आयोजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राज्य-विशिष्ट कार्यनीति बनाई है। महाराष्ट्र राज्य को 17.42 लाख लखपति दीदियों का लक्ष्य दिया गया है, जिसके मुकाबले 37.13 लाख संभावित लखपति दीदियों की पहचान की गई है। निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ) विभाग ने महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को आसानी से बैंक ऋण लेने के लिए कदम उठाए हैं। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक निजी बैंक यानी आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ने महिला एसएचजी सदस्यों को वित्तपोषण के लिए विशिष्ट उत्पाद तैयार किए हैं और इन बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

मंत्रालय ने डीएवाई-एनआरएलएम गतिविधियों के समग्र कार्यान्वयन पर नज़र रखने और उसका मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित निगरानी तंत्र बनाए हैं:

- **एमआईएस डेटा के माध्यम से निगरानी:** डीएवाई-एनआरएलएम में एक केंद्रीकृत एमआईएस है जिसमें ब्लॉक स्तर से ही डेटा एंट्री की जाती है। एमआईएस डेटा का उपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर प्रगति की निगरानी के लिए किया जाता है।
- **एसआरएलएम के साथ समीक्षाएं:** सभी राज्यों के कार्य निष्पादन की समीक्षा प्रशासन के वरिष्ठ स्तर पर तिमाही आधार पर की जाती है। इससे लंबित मुद्दों या पिछड़े क्षेत्रों को सामने लाने और उन पर कार्रवाई करने की सुविधा मिलती है।
- **निष्पादन समीक्षा समिति:** मंत्रालय की निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों के दौरान वार्षिक आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिव (ग्रामीण विकास) के साथ कार्यक्रम के निष्पादन की समीक्षा भी की जाती है।
- **राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटर, सामान्य समीक्षा मिशन** और मंत्रालय के अधिकारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए नियमित अंतराल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं। क्षेत्रीय दौरों के बाद जांच के परिणामों/कमियों और सिफारिशों को उचित कार्रवाई के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया जाता है।

डीएवाई-एनआरएलएम के तहत, ग्रामीण विकास मंत्रालय देश में गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामीण गरीब युवाओं के रोजगार के माध्यम से उनके कौशल विकास के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) कार्यक्रमों को लागू करता है।

डीडीयू-जीकेवाई 15-35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब युवाओं के नियोजन से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है। यह ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार योग्य कौशल से सशक्त बनाता है तथा नियमित श्रम बाजारों में उनकी भागीदारी को सुगम बनाता है।

आरएसईटीआई ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक प्रशिक्षण संस्थान है, जिसकी स्थापना प्रायोजक बैंकों द्वारा अपने जिलों में कौशल और उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई है। मंत्रालय आरएसईटीआई भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा 'ग्रामीण गरीब' अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण का खर्च भी वहन करता है। आरएसईटीआई में 18-50 वर्ष की आयु के किसी भी बेरोजगार युवा को प्रशिक्षण देने का प्रावधान भी है, जो स्वरोजगार या मजदूरी रोजगार करने का इच्छुक हो।

देश में डीडीयू-जीकेवाई के तहत कुल 17,50,784 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, और कुल 11,48,247 उम्मीदवारों को नियोजित किया जा चुका है, और आरएसईटीआई के तहत, कुल 56,69,265 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, और योजना की स्थापना से जून 2025 तक कुल 40,99,578 उम्मीदवारों को नियोजित किया जा चुका है।

*****

"लखपति दीदी योजना" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 12.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 330 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्व-घोषित लखपति दीदीयों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्व-घोषित लखपति दीदियों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	411
2	आंध्र प्रदेश	17,41,362
3	अरुणाचल प्रदेश	7,680
4	असम	5,58,829
5	बिहार	14,47,750
6	छत्तीसगढ़	4,32,303
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1,872
8	गोवा	1,556
9	गुजरात	6,06,805
10	हरियाणा	58,577
11	हिमाचल प्रदेश	82,176
12	जम्मू और कश्मीर	52,203
13	झारखंड	4,81,940
14	कर्नाटक	2,54,698
15	केरल	4,12,441
16	लद्दाख	51,736
17	लक्षद्वीप	-
18	मध्य प्रदेश	12,84,957
19	महाराष्ट्र	22,69,981
20	मणिपुर	13,302
21	मेघालय	44,324
22	मिजोरम	17,161
23	नागालैंड	11,000
24	ओडिशा	7,80,996
25	पुदुचेरी	7,238
26	पंजाब	31,191
27	राजस्थान	4,27,865
28	सिक्किम	7,847
29	तमिलनाडु	5,63,242
30	तेलंगाना	8,00,407

31	त्रिपुरा	61,478
32	उत्तर प्रदेश	11,15,982
33	उत्तराखंड	43,266
34	पश्चिम बंगाल	11,59,682
	कुल	**1,48,32,258**

*****